न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(गौरव अग्रवाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 46/2019
प्रविष्टि दिनांक 18-7-2019

दुर्गालाल पुत्र रामस्वरूप मीणा निवासी ग्राम मोहम्मदपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—अपीलाण्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला— टोक

—रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 20-6-2019

उपस्थिति : (1) श्री दोलतराम चोधरी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री जुगनू शर्मा,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 24-3-2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 20-6-2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 503/26 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम कोटड़ी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर भूमि से बेदखल करने 2000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व नोटिस नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुने बिना एंव साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना एक पक्षीय निर्णय पारित करने में कानूनी गलती की है। अपीलाण्ट की उक्त भूमि पर गत 20 वर्ष से भी अधिक समय से मौके पर दुकान बनी हुई है। अपीलान्ट की दुकान में बिजली व नल कनेक्शन लगा हुआ है तथा सार्वजनिक रूप से पानी की टंकी बनी हुई है। अपीलान्ट इस भूमि में बनी हुई दुकान में व्यवसाय करके अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। अ[illegible] पास व्यवसाय करने हेतु अन्य कोई दुकाननहीं है। खसरा नम्बर [illegible] मकानात/दुकाने बनी हुई हें ओर आबादी बसी हुई है [illegible] दुर्भावना पूर्वक अपीलान्ट के

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

विरूद्ध कब्जे बाबत गलत रूप से रिपोर्ट की है। अपीलान्ट को पटवारी हल्का से जिरह करने का अवसर नहीं दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर नायब तहसीलदार ने विश्वास करके जो निर्णय पारित किया है वह निरस्त योग्य है। अपीलान्ट के अभिभाषक का यह भी कथन है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाऍ क्रमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्तनीय है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। विवादित पटवार भवन की भूमि पर अपीलान्ट ने पक्की दुकाने बनाकर अतिक्रमण किया है। इस भूमि पर अपीलान्ट ने पहले भी अतिक्रमण किया था ओर अब पुनः अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विवादित भूमि से पूर्व में पत्रावली सं0 778/11 निर्णय दिनांक 3-2-2012 से बेदखल किया गया था एंव पूनः पश्चातवर्ती अतिकमी होना माना गया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होंता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट के पिता रामस्वरूप की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित होकर अपने बचाव पक्ष मे साक्ष्य सबूत पेश करना चाहिए था। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 503/26 रकबा 0.02 है0 वाके ग्राम कंटड़ी तहसील उनियारा पर दुकानें बनाकर अतिक्रमण किया है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंव बयानो से सिद्ध है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व गत वर्ष में भी अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 778/11 दिनांक 3-2-2012 से बेदखल किया जाना जाहिर है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया है। नायब तहसीलदार सोप के न्यायालय में अपीलान्ट नोटिस की तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं हुआ है एंव अपीलन्ट ने स्ंवय अपील प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि पर कब्जा करना स्वीकार किया है। अपीलान्ट सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उनियारा का निर्णय दिनांक 20-6-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24-3-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Date: 2021.04.06 11:16:58 IST
Reason: SelfAttested

(गौरव अग्रवाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

Scanned by CamScanner